न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद सीरवी, आर0ए0एस0 (प्रशिक्षु)

राजस्व वाद संख्या : 176/2017

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्यामलाल पुत्र हरदेव कौम खटीक 2. ओमाराम पुत्र बाबुलाल जाति साठिया, निवासी–कुशालपुरा तहसील रायपुर जिला पाली राज0		1. ललित पुत्र बस्तीराम 2. मंजुदेवी पुत्री बस्तीराम 3. कमलादेवी पत्नी बस्तीराम 4. सांवरलाल पुत्र लाबुराम 5. कमलादेवी पुत्री लाबुराम 6. सुन्दरीदेवी पुत्री लाबुराम 7. राधादेवी पुत्री लाबुराम जाति–रेगर, निवासी–आगेवा तहसील–जैतारण, जिला–पाली 8. श्रीमान उपपंजीयन अधिकारी महोदय एवं तहसीलदार जैतारण, जिला–पाली राज0

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.04/09/2017**

उपस्थितः. 1. श्री रामलाल देवासी, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 10/05/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–आगेवा पटवार हल्का आगेवा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आगेवा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में खसरा नंबर 376/2 रकबा 12–04 बीघा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आयी हुई है। जिसमें से वादीगण उक्त संपूर्ण भूमि के 4/5 वां हिस्सा में से 8/39 वां हिस्से की 02 बीघा भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से मुजब मौके पर बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्वक काबिज काश्त करते आ रहे है। नकल जमाबन्दी साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक भाग माना जावें। वादपत्र के पद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त सामलाती अविभाजित कृषि आराजी होने से वादीगण अपनी कृषि भूमि में खाद बीज डालकर उपजाउ बनाने हेतु बैंक से ऋण नही ले सकती है तथा वादीगण को सामलाती कृषि भूमि होने के कारण अनेको प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा वादीगण अपनी कृषि भूमि मे अलग से कुआ खुदवाकर उसक पर विद्यत कनेक्शन संयुक्त कृषि आराजी होने से नही ले सकते है तथा वादीगण को अनेको प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादीगण वादपत्र के पद संख्या एक में वर्णित कृषिभूमि के 4/5 वां हिस्सा मे से 8/39 वां हिस्से की कृषि आराजी का खातेदार काश्तकार होने से अपने हक हिस्से व बंट की आराजी का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा करवाने हेतु प्रतिवादीगण को दिनांक 15.7.2017 को कहा तो प्रतिवादीगण स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये व उक्त कृषिभूमि से बेदखल करने की भी ऐलानिया धमकी दी व यह भी कहा कि हम बिना कानूनी बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि को किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण आदि कर देंगे। प्रतिवादीगण अगर बिना कानूनी बंटवाड़ा करवाये ही उक्त भूमि को किसी अन्य को बेचान हस्तांतरण कर देते है तो एक अजनबी केता उक्त भूमि के मुख्य भू भाग पर कब्जा करेगा जो वादीगण हरगिज केता को ऐसा करने नही देगा तब मौके पर लडाई झगड़ा व टन्टा फसाद होगा। नाहक पेचदगिया बढेगी तथा वादीगण को असीम क्षति होगी व वादीगण अपने सांपैतिक हक व अधिकारों से महरूम हो जायेगी

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज0

इसलिए वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है।प्रतिवादीगण ने वादीगण को यह भी ऐलानिया धमकी दी कि हम तो उक्त भूमि को बेचान करके ही रहेंगे तथा तुम्हे इस कृषि भूमि मे काश्त नहीं करने देंगे अगर प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाते है तो वादीगण अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम होगी व वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी व मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स बढेगी। इसलिए यह वादपत्र बाबत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाता का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है।प्रतिवादीगण संख्या आठ श्रीमान उप पंजीयन अधिकारी एवं तहसीलदार साहब जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से तथा बंटवाडे के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है।प्रतिवादीगण संख्या आठ श्रीमान उपपंजीयन अधिकारी महोदय के समक्ष यदि प्रतिवादीगण किसी प्रकार का बेचान हस्तान्तरण का दस्तावेज बिना कानूनी बंटवाडा करवाये प्रस्तुत करे तो उसका पंजीयन नही करें तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड व मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखने हेतु इस वादपत्र में पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादीगण संख्या तीन राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होने से उनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वाद आवश्यक प्रकृति का होने से तथा नोटिस देने में समय लगने व नोटिस का समय व्यथित करने तक वादीगण को वाद करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा इसलिए बिना नोटिस दिये ही वाद न्यायालय की अनुमति से पेश है। बिनाय दावा दिनांक 15.07.17 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट रूप से इन्कार होने से तथा वादीगण को अपने हिस्से से बेदखल करने व काश्त नही करने देने की व बिना बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि को किसी अजनबी क्रेता को बेचान हस्तान्तरण रहन आदि करने की ऐलानिया धमकी दी तब बमुकाम आगेवा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे उत्पन्न हुआ जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे होने से यह वादपत्र श्रीमान के समक्ष पेश है। वकील वादी ने वाद प. पेश कर माफिक वादपत्र वादी का वाद डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण को बावजूद तामिली/ सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य का शपथ-पत्र पेश किया, सा0मि0 हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात यथा जमाबन्दी का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहता हैं। लिहाजा वादी के माफिक राजस्व रेकर्ड हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिकी जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा-आगेवा पटवार हल्का आगेवा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आगेवा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में खसरा नंबर 376/2 रकबा 12-04 बीघा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आयी हुई है का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बॉउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2018/266 27/02/2018 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2017/3663 दिनांक 10/05/2018 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-आगेवा में पेश हुई। बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँट्वाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–आगेवा पटवार हल्का आगेवा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आगेवा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में खसरा नंबर 376/2 रकबा 10–16 बीघा की भूमि का बँट्वाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स हेतु वादी एवं उपस्थित मौतबिरान के साथ मौके पर पहुंचा मौके पर वादी का बंट्वाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म	लगान (रुपये)
1	श्यामलाल पुत्र हरदेव कौम खटीक सा. कुशालपुरा, ओमाराम पुत्र बाबुलाल कौम साटीया सा. कुशालपुरा खातेदार	376/10	1-16	बा.अ.	1.09
2	ललित पुत्र बस्तीराम मंजुदेवी पुत्री बस्तीराम कमलादेवी पत्नी बस्तीराम दिनांक 43/180 सांवरलाल पुत्र लाबुराम कमलादेवी सुंदरीदेवी पुत्रियां लाबुराम राधादेवी पत्नी लाबुराम हिस्सा 137/180 कौम रेगर सा.देह खातेदार	376	9-00	बा.अ.	5.58
	योग		10-16		6.67

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंट्वाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंट्वाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला. पाली)

निर्णय आज दिनॉक 10/05/2018 को राजस्व लोक अदालत अट्ल सेवा केन्द्र शिविर–आगेवा में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला. पाली)